

प्रपत्र-10

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 3.0100 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 3.0100 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्यकिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
देहरादून

प्रति हस्ताक्षरित

जिलाधिकारी
विलाधिकारी
देहरादून

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

अधिशाली अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि०,
ऋषिकेश

(पवीन चन्द रमोला)
30-2-10

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी